छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

--00--

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 / 01 / 2020

क्रमांक एफ 1–10 / 2014 / 23:: इस विभाग के आदेश क्रमांक 26 / 2001 / यो.आ.सां / 23, दिनांक 10, जनवरी, 2001 एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.2014 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन एतद् द्वारा, **"राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ"** का निम्नानुसार पुनर्गठन करते हुए दायित्व निर्धारित करता है:–

1. संरचना:–

1	अध्यक्ष	माननीय मुख्यमंत्रीजी
2	पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष (1)	राज्य शासन द्वारा मनोनीत
3	पदेन सदस्य (4)	राज्य मंत्रिपरिषद् से मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा मनोनीत 3 सदस्य एवं माननीय योजना मंत्रीजी
4	पूर्णकालीन सदस्य (1)	राज्य शासन द्वारा मनोनीत
5	अशासकीय सदस्य (3)	कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र से अधिकतम 03 लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति। (राज्य शासन द्वारा मनोनीत)
6	अंशकालीन सदस्य (2)	अधिकतम 2 सदस्य। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से पदेन सदस्य के रुप में। (एक वर्ष के चक्रीय आधार पर) राज्य शासन द्वारा मनोनीत
7	स्थाई आमंत्रित	1. मुख्य सचिव, 2. भारसाधक सचिव, वित्त / योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / नगरीय प्रशासन एवं विकास / कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी / आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
8	पूर्णकालिक सदस्य सचिव	शासन द्वारा पदस्थ सचिव स्तरीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

2. आयोग के दायित्वः–

(1) राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना।

(2) सतत् संपोषणीय विकास (SDG) तथा "जन घोषणा पत्र" के उद्देश्यों एवं "इंटर–जनरेशनल इक्विटी" के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण के संदर्भ में विभागों को सुझाव देना।

(3) विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralized Planning) निर्माण, समीक्षा एवं इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए राज्य शासन को समय–समय पर सुझाव देना।

(4) शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं मूल्यांकन (Evaluation) करना तथा उनमें सुधार के संबंध में शासन को सुझाव देना।

(5) विभिन्न सेक्टर्स में राज्य के विकास के लिये उपयोगी निदानात्मक/विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रायोजित करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों व Best Practices का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संदर्भ में राय देना।

(6) नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना।

(7) शासन एवं शासनेत्तर विषयों पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन करना व राज्य के लिये नीति नेतृत्व (Policy Lead) प्रदान करते हुये Think Tank के रुप में कार्य करना।

(8) समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को संपादित करना।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आशीष कुमार भट्ट)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक एफ 1–10/2014/23, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 /01/2020

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार, नीति आयोग, नीति भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001,
2. समस्त प्रदेश, राज्य योजना आयोग/राज्य योजना मंडल,
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. विशेष सहायक, मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, योजना भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
9. आयुक्त–सह–संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
10. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, योजना भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर,
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
12. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
14. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर,
15. उप निदेशक, शासकीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

Scanned by CamScanner